रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ. / भुवनेश्वर @ भोपाल

दावा आवेदन क्रमांक : OA-IIu/BPL/08/2023
दावा पंजीकरण तिथि : 23-01-2023
आदेशार्थ रखने की तिथि : 24th May, 2024
आदेश तिथि : 27th May, 2024

1) श्रीमती नजमा खातून पत्नी स्व0 श्री समीर अंसारी,
2) कुमारी खुशी प्रवीन पुत्री स्व0 श्री समीर अंसारी,
3) कुमारी खुशनुमा प्रवीन पुत्री स्व0 श्री समीर अंसारी,
(आवेदक क्रमांक–2 एवं 3 अवयस्क होने से नैसर्गिक संरक्षिका के तौर पर माता होने से आ0क्र0–1 द्वारा)
4) श्रीमती नसीमा बीबी पत्नी पत्नी श्री नौशाद मिया,
निवासी–ग्राम केसरगड़ा,
थाना–मधुपुर, जिला–देवघर (झा0) .....आवेदक

विरूध्द

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (म0प्र0) .....रेस्पाडेन्ट

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्री अशोक श्रीवास्तव / श्रीमती फरजाना अजीज, आवेदक–अधिवक्ता,
श्री इन्द्रजीत सिंह राजपूत, रेस्पांडेन्ट–अधिवक्ता.

:: नि र्ण य ::

1. आवेदकों ने अपने पति / पिता / पुत्र मृतक *समीर अंसारी पिता स्व0 श्री नौशाद मियां* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, *1987* के सेक्शन–*16* के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये *8 लाख* प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन एवं शपथपत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि *27* वर्षीय मृतक मजदूरी का कार्य करता था एवं दिनांक 18.08.2022 को पुणे से दानापुर तक की यात्रा पीनएनआर संख्या–8256004176 के आधार पर गाड़ी संख्या–12149 डाउन से करते समय उचेहरा स्टेशन के पूर्व किलोमीटर्स क्रमांक–1153 / 28 पर चलती ट्रेन से गिर गया और आई हुई गंभीर चोटों से उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. सूचना प्राप्त होने पर उचेहरा पुलिस द्वारा प्रकरण को मर्ग संख्या–0077 / 22 पर पंजीबध्द कर आगे की कार्यवाही सम्पन्न की. यह अभिवचन किया गया है कि मृतक के पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा माता को आवेदक में सम्मिलित किया गया है. अतः बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट में अपने पति / पिता एवं पुत्र की मृत्यु हो जाने से आवेदकगण ही आश्रित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के लिए यह दावा आवेदन पेश किया गया है.

2. रेस्पाडेन्ट ने वैधानिक तरीके से की गई अपनी जॉच रिपोर्ट जिसे डीआरएम रिपोर्ट कहा गया है, में प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर अपने जवाबदावे में दावे का पूरजोर विरोध करते हुए

निरंतर.....2 / पर

30/5/24

W.C.R

यह कहा है कि पुलिस तलाशी में मृतक के पास यात्रा का टिकट प्राप्त होना दर्शाया है, किन्तु नंबर नहीं दर्शाया है एवं पीएनआर टिकट का सत्यापन करने पर यह मृतक के नाम से प्रतीक्षा सूची में होना पाया गया है, अतः मृतक वैध यात्री नहीं था एवं उसके गिरने का कोई साक्षी नहीं होने से तथा मृतक के चाचा के कथनानुसार मृतक विगत 5–6 सालों से मिरगी की बिमारी से पीड़ित था अतः घटना के समय न तो वह वैध यात्री था एवं घटना यदि घटित हुई होगी तो मृतक सावधानीपूर्वक यात्रा नहीं कर रहा था. इस प्रकार मुआवजा देने के अपने दायित्व से साफ तौर पर इनकार किया है एवं इसी आधार पर दावा आवेदन को व्यय सहित खारिज करने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट की ओर से की गई है.

3. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :–

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger of the Train in question at the time of occurrence of the alleged untoward incident ?*

2) *Whether the death of deceased caused due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the Respondent railway administration is protected under the Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

4) *Whether the applicants is the legal dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependants ?*

5) *Relief and cost ?*

4. आवेदकों की ओर से क्रमांक–1 ने मौखिक साक्षी के तौर पर स्वयं का शपथपत्र *(AW/1)* के साथ–साथ लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1 to A-12* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पाडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश किया गया है. आवेदक–साक्षी का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

5. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुन कर और अभिवचनों एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्कर्ष ::

इश्यूज क्रमांक–1, 2 एवं 3 :

6. विवरण में तारतम्यता स्थापित करने हेतु इन तीनों इश्यूज पर एक साथ विचार किया जा रहा है. आवेदकों की ओर से घटना के समय मृतक ए–7 पर पेश किये गये टिकट के आधार पर विवेचित यात्री गाडी से यात्रा करते समय घटनास्थल पर चलती ट्रेन से अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन ही नीचे गिरकर मृत हुआ है, अतः आवेदक उसकी पत्नी, संतान एवं माता होने

निरंतर.....3/ पर

W.C.R

से आश्रित के तौर पर निर्धारित मुआवजा प्राप्त करने के अधिकार होने हेतु दावा दाखिल करने एवं इसी के समर्थन में उनकी विदुषी अधिक्ता द्वारा बहस के दौरान तर्क पेश किये गये हैं.

7. दूसरी ओर *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003* के अधीन प्रस्तुत की गई वैधानिक तरीके से की गई जाँच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, में रेस्पांडेन्ट ने विरोध करते हुए यही कहा है कि पुलिस द्वारा यात्रा टिकट प्राप्त होना दर्शाया गया है, किन्तु नंबर नहीं दर्शाया गया है. वहीं प्रकरण में संलग्न पीएनआर टिकट का सत्यापन किये जाने पर यह वेटिंग टिकट है, अतः मृतक वैध यात्री नहीं था तथा मृतक के चाचा के कथनानुसार मृतक को विगत 5–6 वर्षों से मिर्गी की बिमारी से पीडित था, एवं मृतक गेट पर बैठकर/खड़े होकर यात्रा करने के कारण ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसके लिए अपनी जिम्मेदारी से इनकार करते हुए दावे को खारिज करने की प्रार्थना की गई है.

8. मेरे द्वारा परिस्थितिजन्य हालातों तथा उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों एवं पक्षों के दोनों विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश किये गये तर्क–प्रतितर्कों का गहनता से परिशीलन किया गया. नक्शा–पंचायतनामा (ए–3) में मृतक के पास यात्रा का टिकट पाये जाना अंकित है एवं ए–7 पर पेश किये गये सम्पत्ति जब्तीपत्रक में पीएनआर संख्या वाला टिकट जब्त होने का अंकन है जो कि घटनास्थल से घटना दिनांक को ही प्राप्त होना अंकित है. इसकी सत्यापित प्रति भी पेश की गई है जो कि दावा की गई गाडी का प्रतीक्षासूची काउ खिडकी से बनाया गया टिकट है. रेस्पांडेन्ट की ओर से इस टिकट पर धन वापसी का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है, चूँकि रेलवे के पास यात्रा का किराया जमा है, अतः वेटिंग टिकट के आधार पर जनरल कोच में यात्रा की जा सकती है. अतः रेस्पांडेन्ट का तर्क विधि–सम्मत साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है एवं यह मान्य किया जाता है कि घटना के समय मृतक बोनाफाइड पैसेन्जर था.

9. जहाँ तक मृतक के चाचा का बयान कि मृतक को 5–6 साल से मिरगी आती थी, को स्थापित करने के लिए रेस्पांडेन्ट की ओर से ऐसी कोई पूख्ता साक्ष्य पेश नहीं की गई एवं न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही ऐसा कोई तथ्य सामने आया है. साक्षी के तौर पर उपस्थित होने पर मृतक की पत्नी ने अपने प्रति–परीक्षण में इस बात से साफ इनकार किया है कि मृतक को मिरगी अथवा अन्य कोई बीमारी थी. अतः यह तर्क साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है. जहाँ तक घटना का कोई साक्षी नहीं होने का रेस्पांडेन्ट तर्क भी विपरीत साक्ष्य से साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है. चूँकि यह स्थापित है कि मृतक वेटिंग टिकट के आधार पर यात्रा कर रहा था इसलिए यात्रा किये जाने वाला कोच जनरल कोच ही होगा इस प्रकार प्रकरण अब एकमात्र विवाद का यही विषय है कि मृतक गेट के पास/ पायदान पर बैठकर यात्रा कर रहा होगा जो कि उसकी लापरवाही का द्योतक है, तो दरवाजे के पास बैठकर यात्रा करने की इस प्रकार की लापरवाही को सामान्य लापरवाही मानते हुए माननीय सुप्रीमकोर्ट ने ***Jameela & Ors vs Union Of India*** प्रकरण (**CIVIL APPEAL NO. 1184 OF 2003**) में दिनांक 27 अगस्त, 2010 को पारित न्यायसिध्दान्त में यह भलीभांति प्रतिपादित कर दिया है कि *The manner in which the*

निरंतर.....4/पर

W.C.R

accident is sought to be reconstructed by the Railway, the deceased was standing at the open door of the train compartment from where he fell down, is called by the railway itself as negligence. Now negligence of this kind which is not very uncommon on Indian trains is not the same thing as a criminal act mentioned in clause (c) to the proviso to section 124 A. A criminal act envisaged under clause (c) must have an element of malicious intent or mens rea. Standing at the open doors of the compartment of a running train may be a negligent act, even a rash act but, without anything else, it is certainly not a criminal act. Thus, the case of the railway must fail even after assuming everything in its favour. माननीय सुप्रीमकोर्ट के उक्त उल्लेखित न्यायसिध्दान्त को ध्यान में रखते हुए मैं यही अवधारित करता हूँ कि मृतक के साथ घटित घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (C) (2)* के अधीन बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर यात्रा करते समय अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की परिस्थितियों में ही घटित हुई थी, इसलिए इसी *एक्ट के सेक्शन–124 A* के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु रेस्पांडेन्ट बंधनकारी है. तदनुसार इश्यूज क्रमांक–1, 2 एवं 3 साबित होने से आवेदकों के ही पक्ष में इनका विनिश्चय किया जाता है.

इश्यूज क्रमांक–4 एवं 5 :

10. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मृतक पति/पिता/पुत्र के पत्नी/संतान एवं माता के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से उनकी ओर से दावा दाखिल किया गया है एवं अपनेआप को आश्रित साबित करने के लिए आवेदकों की ओर से मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, वोटरकार्ड के साथ अपने आधारकार्ड, बैंक खाता पासबुक, रॉशनकार्ड, जन्म प्रमाणपत्र एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड *(A-8 to 12)* आदि दस्तावेज पेश किये गये हैं. आवेदकों की ओर से दावा आवेदन में यह अभिवचन किया गया है कि मृतक की माता को आवेदक में सम्मिलित किया गया है, किन्तु पिता की मृत्यु हो गई है. इस प्रकार दावा आवेदन में किये गये अभिवचन एवं साक्षी की गवाही तथा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से दोनों आवेदक अविवाहित मृतक पुत्र के माता–पिता होने के आधार पर *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (B) (i)* के अधीन आश्रित मान्य किये जाते हैं.

11. चूँकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

12. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अधीन निर्धारित रूपये *8,00,000/-* की राशि एवं इस पर घटना दिनांक *19-08-2022* से भुगतान तिथि तक की अवधि तक *09%* प्रतिवर्ष साधारण ब्याज सहित गणित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार हैं. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

निरंतर.....5/पर

W.C.R

:: आ दे श ::

13. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये 8,00,000/- में से आश्रितों को निम्नानुसार भुगतान करेगा :–

Sl No	Name of the Applicants	Relation ship with deceased	Age in yea rs	Amount awarded (Rs.)	In cash (Rs.) (एवं संदेय आनुपातिक ब्याज)	As Fixed Depo sit/ Annuity (Rs.) (एवं संदेय आनुपातिक ब्याज)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1)	श्रीमती नजमा खातून	पत्नी	27	5,00,000/-	50,000/-	4,50,000/-
2)	कुमारी खुशी परवीन	पुत्री	06	1,00,000/-	---	1,00,000/-
3)	कुमारी खुशनुमा परवीन	पुत्री	03	1,00,000/-	---	1,00,000/-
4)	श्रीमती नसीमा बीबी	माता	55	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-

14. रेस्पांडेन्ट उक्त राशि पर घटना दिनांक 19-08-2022 से भुगतान तिथि तक की अवधि तक 09% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भी संदेय आश्रितों को करेगा.

15. उक्त तालिका के कॉलम संख्या–6 की राशि एवं इस पर आनुपातिक ब्याज को सम्बन्धित लाभार्थी/लाभार्थियों के सीधे खाते में स्थानांतरित की जाएगी एवं कॉलम–7 में दर्शाई गई शेष राशि एवं इस पर आनुपातिक ब्याज को लाभार्थी कमांक–1 के लिए रूपये 7,500/- प्रति माह के हिसाब से एक माह से 60 माह की अवधि के लिए तथा लाभार्थी कमांक–4 के लिए रूपये 4,500/- प्रति माह के हिसाब से एक माह से 20 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी. चूँकि लाभार्थी कमांक–2 एवं 3 अवयस्क हैं, इसलिए ब्याज सहित संदेय इनकी प्रतिकर राशि को इनके वयस्क होने की अवधि तक के लिए फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा, जिस पर अर्जित ब्याज इनके लालन–पालन के लिए नैसर्गिक संरक्षिका के तौर पर माता होने से आवेदक कमांक–1 द्वारा मासिक अथवा अपनी सुविधानुसार आहरित कर सकेगी.

16. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगा. रेस्पांडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से 60 दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

17. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC/-III/2610, dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पांडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पांडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक 12% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा.

18. भारत सरकार ने 03 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खातें निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे,
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी,
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी,
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी.

19. आवेदक/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदक/लाभार्थी के मौजूद बचत

निरंतर.....6/पर

W.C.R

खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा. बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत् बैंक आवेदक/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा.

20. इन खातों से धन की निकासी केवल "निकासी फार्म" के द्वारा ही की जाएगी.

21. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे.

22. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदक/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा.

23. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे.

24. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No. 10064520760 IFSC Code : SBIN0005798 (State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में *RTGS* के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

25. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदक/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन आवेदक/लाभार्थी की पासबुक में करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधारकार्ड, पेनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदक/लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

26. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदक/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी.

27. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु रेस्पांडेन्ट/लाभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोडकर).

28. बैंक आवेदक/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा.

29. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा.

30. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

शेष.....7/पर

W.C.R

31. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है.

32. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे.

33. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी.

34. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भुवनेश्वरपीठ@ भोपाल

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 27th May, 2024 को उदघोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भुवनेश्वरपीठ@ भोपाल

30/5/24

W.C.R